भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3863

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

चीनी मिलों के कामगारों का शोषण

3863. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों और अन्य स्थानीय उद्योगों में कार्यरत कामगारों के शोषण और उनको न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मामलों की समुचित निगरानी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभाग द्वारा उपेक्षा की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संविदाकारों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कामगारों को समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर मजदूरी न मिले। अधिनियम में विभिन्न उद्योगों और कौशल स्तरों के आधार पर अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी का उपबंध है। चीनी मिलों में कार्यरत कामगारों से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाल ही में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया गया है और उन्हें वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। यह संहिता न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से अधिनियमित करती है।

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 में अन्य बातों के साथ-साथ जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के उपबंध हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) पर प्रवासी कामगारों समेत असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का आधार से जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की शुरूआत की है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहायता करना है।

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी शुरू किया है। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों समेत असंगठित कामगारों को 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है; - इसमें पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएमएवाई (शहरी और ग्रामीण), एनएसएपी - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एमजीनरेगा), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) शामिल हैं।

*****